लोक सुनवाई का विवरण

विषयः– ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स श्री रमेश कुमार साहू (कोट लाईम स्टोन क्वॉरी), ग्राम–कोट, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा 770 पी, 771/1पी, 771/3 पी, 771/4 पी, 772/1, 772/3, 772/4 पी, 773/1, 793/2 पी, 768/9, 774/6, 791/4, 792/1, 792/3, 769, 768/12, 792/2, 776/5, 790, 777/1, 768/5, 776/10, 776/12, 791/2, 774/5, 776/9, 777/3, 773/2, 774/2, 777/2, 768/26, 791/1, 775, 774/4, 768/25, 768/18, 768/7 कुल क्षेत्रफल 6.118 हेक्टेयर (1.367 हेक्टेयर + 4.751 हेक्टेयर) में चूनापत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता 84,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 23.07.2025 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स श्री रमेश कुमार साहू (कोट लाईम स्टोन क्वॉरी), ग्राम–कोट, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा 770 पी, 771/1पी, 771/3 पी, 771/4 पी, 772/1, 772/3, 772/4 पी, 773/1, 793/2 पी, 768/9, 774/6, 791/4, 792/1, 792/3, 769, 768/12, 792/2, 776/5, 790, 777/1, 768/5, 776/10, 776/12, 791/2, 774/5, 776/9, 777/3, 773/2, 774/2, 777/2, 768/26, 791/1, 775, 774/4, 768/25, 768/18, 768/7 कुल क्षेत्रफल 6.118 हेक्टेयर (1.367 हेक्टेयर + 4.751 हेक्टेयर) में चूनापत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता 84,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि तथा अमृत इंडिया में दिनांक 22 जून 2025 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 23 जुलाई 2025 को समय प्रातः 11:00 बजे से स्थल– ग्राम–कोट, शासकीय गोठान, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में लोक सुनवाई नियत की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 23.07.2025 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 350–400 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

1. लोक सुनवाई प्रातः 11:00 बजे से प्रारंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 01 से 07 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि रिजनल ऑफिसर द्वारा इस परियोजना के परिप्रेक्ष्य में जानकारी दी गई है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं और इस जनसुनवाई को प्रारंभ करते हैं। जनसुनवाई का प्रारंभ जो है परियोजना प्रस्तावक जो है उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात यहॉ पर रखे, उसके पश्चात् जिनको भी इस परियोजना के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखनी है, कुछ आपत्ति दर्ज करनी है, टीका टिप्पणी करनी है, सुझाव देना है, वे यहॉ पर एक–एक करके आकर अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात रिकॉर्डिंग की जाएगी, यह सारी रिकॉर्डिंग पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजी जाएगी, तो मैं परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात रखें।

5. परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार साहू द्वारा संबोधित किया गया कि आज की जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से पधारे हुए हमारे क्षेत्रीय अधिकारी सर, अपर कलेक्टर महोदया, हमारे एसडीएम सर, साथ ही खनिज विभाग एवं अन्य विभागों से आए हुए अधिकारी गण, साथ ही जनप्रतिनिधि गण, आम जनता, ग्राम वासी, महिलाएं पुरुष भाईयों एवं बहनों, आप सबको मैं हार्दिक स्वागत प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। आज का यह पर्यावरणीय लोक सुनवाई कार्यक्रम में मेरी ओर से मेरे बिहाफ में आशुतोष सन्यासी जी आपको प्रोजेक्ट की सारी जानकारी देंगे।

6. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आशुतोष सन्यासी, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स अंबिका इन्वायरो देवपुरी रायपुर, (छ.ग.) द्वारा जानकारी प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश साहू जी की ओर से पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में कोट में उपस्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आए हुए श्री रबड़े सर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त स्टाफ, एडीएम मैडम, कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार से आए हुए पुलिस प्रशासन एवं कसडोल थाना के पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी, मीडिया कर्मी, समस्त ग्रामवासी, परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश साहू जी एवं बाहर से आए हुए समस्त व्यक्तियों को इस जनसुनवाई में स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ। परियोजना से संबंधित जानकारी खसरा 770 पी, 771/1पी, 771/3 पी, 771/4 पी, 772/1, 772/3, 772/4 पी, 773/1, 793/2 पी, 768/9, 774/6, 791/4, 792/1, 792/3, 769, 768/12, 792/2, 776/5, 790, 777/1, 768/5, 776/10, 776/12, 791/2, 774/5, 776/9, 777/3, 773/2, 774/2, 777/2, 768/26, 791/1, 775, 774/4,

768/25, 768/18, 768/7 यह सब खसरा नंबर है। ग्राम कोट, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के यहाँ पर 6.11 हेक्टेयर पर 84000 टन प्रति वर्ष उत्खनन हेतु जनसुनवाई रखी गई है प्रस्तावित दो चूना खदानों को समाविलन कर एक किया गया है जो पहले से संचालित थी एवं है। ईआइए नोटिफिकेशन अनुसार यदि कोई भी खदान 05 हेक्टेयर से अधिक होती है तो उस जगह पर मतलब उस खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति जनसुनवाई के माध्यम से ली जाती है, तो इस पर पर्यावरणीय स्वीकृति पहले से प्राप्त है परंतु अभी नया नियम के आने से यह जनसुनवाई में गया अन्यथा यह जनसुनवाई की आवश्यकता नहीं होती अगर दोनों अलग–अलग खदान या 2013 के पहले की होती तो। यह आपको दिख रहा है यह इस जगह का लोकेशन मैप है, हमने इस क्षेत्र के 10 किलोमीटर रेडियस में मॉनिटरिंग किया कुछ मशीनों से, जिसमें से कुछ डाटा प्राप्त हुआ उसको आपको साझा करूँगा। गूगल मैप से लिया हुआ फोटो है मतलब इस टाइप के यहाँ के खदान की शेप है, यह पटवारी नक्शा है जिसमें खदान को दर्शाया गया है, इस क्षेत्र में उनको लीज स्वीकृत हुई है। हमने जो यहाँ मॉनिटरिंग किया है मशीनों के द्वारा तो इसमें हम लोग PM_{10} जिनका 98 प्रतिशत मात्रा में कैलकुलेट किया जाता है जो यहाँ पाया गया है 61.3 से 92.1 जो कि अच्छा है मतलब किसी प्रकार की कोई प्रदूषित नहीं है, $PM_{2.5}$ जो है इसकी 98 प्रतिशत मात्रा जो है 21.9 से लेकर 52.7 की सीमा में पाई गई है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO_2 का अध्ययन किया गया है जिसमें 10 से 21.3 की मात्रा पाई गई है। नाइट्रोजन डाईऑक्साइड NO_2 जिनकी मात्रा है 15.7 से लेकर 21.6 की सीमा के अंदर है। यहाँ का ध्वनि जो है ध्वनि की जो चेक किया गया है मशीनों द्वारा 53.2 है अधिकतम और न्यूनतम जो है दिन का पाया गया है 48.6 और रात का पाया गया है 48.7। यहाँ जल का भी कुछ नमूना लिया गया था जिनका एनएबीएल लैब से टेस्ट करवाया गया है उसमें ग्राउंडवाटर मतलब भूजल जो है जिसमें PH 7.4 से 7.7 पाया गया है, जो स्वीकार्य सीमा है मतलब ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए योग्य है और इसका टीडीएस चेक किया गया है जो 576 से लेकर 705 के बीच पाया गया है, इस प्रकार कुल 6 नमूने लिया गया था पानी के जिसकी हार्डनेस यानी कठोरता जो है 122.9 से लेकर 216.4 पाई गई है, फ्लोराइड की जो मात्रा है 102 से 119 मिलीग्राम/लीटर तक पाया गया है, फ्लोराइड की सांद्रता है 0.4 से 0.6 मिलीग्राम/लीटर पाई गई है। सतही जल की गुणवत्ता जो है यानि सरफेस ऊपरी जल जो लिया गया उसके कुछ नमूने चेक किया गया है जिसमें घुलित ऑक्सीजन 5.6 से लेकर 5.9 मिलीग्राम/लीटर के मध्य पाया गया है और इसका सतही जल मतलब सरफेस वाटर का जो PH है 7.25 से 7.44 के मध्य पाया गया है, सतही जल का जो हार्डनेस है 259 से लेकर 284 मिलीग्राम/लीटर के मध्य पाया गया है, सतही जल का जो हार्डनेस कठोरता है 130 से 140 मिलीग्राम/लीटर के मध्य पाया गया है, सतही जल का फ्लोराइड जो है 15.1 से लेकर 16.25 मिलीग्राम/लीटर के मध्य पाई गई है। मिट्टी का भी यहाँ का नमूना या सैंपल लिया गया है जिसकी टेस्टिंग हुई है जिसका PH वैल्यू है 7.05 से लेकर 7.8 के मध्य पाया गया है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा पाया

गया है वह 257.02 से लेकर 300.2 किलोग्राम/हेक्टेयर पाया गया है। फास्फोरस की मात्रा जो है 16.8 से लेकर 25.3 किलोग्राम/हेक्टेयर के मध्य पाया गया है। पोटेशियम की मात्रा जो है 140.6 से लेकर 170.4 किलोग्राम/हेक्टेयर के मध्य पाया गया है। खदान से अगर जो ब्लास्टिंग वगैरह जो होता है, इसका धूल डस्ट होती है इसको सपरेशन के लिए कुछ नियम होता है, कुछ पॉल्यूशन होता है, उसका नियंत्रण भी किया जाता है, जैसे– नियंत्रण ड्रिलिंग कंट्रोल्ड ड्रिलिंग कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाता है परिवहन के दौरान जो धूल उत्पन्न होती है, वहॉ पानी का छिड़काव किया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग के समय भी पानी का छिड़काव किया जाता है और जिस ट्रक या वाहनों से परिवहन होती है, उसको ढंककर किया जाता है, ताकि किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो रास्ते में। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ लागत रहती है जिसका 2% जो है वह यहॉ के लोगों के विकास के लिए सीईआर के माध्यम से किया जाता है। इनका प्रोजेक्ट की जो लागत है 64.2 लाख है, जिसका 2% लागत 1.28 लाख बजट का प्रावधान रखा गया है सीईआर में। निष्कर्ष क्षेत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा क्योंकि विभिन्न प्रदूषणों को अनुमेय सीमा में रोकने के लिए पर्याप्त निवारण उपाय अपनाये जाएंगे। पर्यावरण के सभी घटकों की नियमित निगरानी की जाएगी। विभिन्न प्रदूषणों को अनुमेय सीमा में रोकने के लिए पर्याप्त निवारण उपाय अपनाये जाएंगे। क्षेत्र के आसपास हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। हमारे परियोजना प्रस्तावक के द्वारा हरित पट्टी मतलब वृक्षारोपण अच्छा करीब 7000 से लेकर 10000 के आसपास वृक्षारोपण किया गया है। सामाजिक कल्याण उपाय के लिए वृद्धि के आसपास गांव का विकास होगा परियोजना प्रस्तावक स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक होगा जैसे रोजगार मिलेंगे आसपास में, जब यह खदान खुल जाएगी, खदान जब चालू रहेगी तो आप लोगों के मतलब यहॉ के गांव वालों को गिट्टी सरलता से मिलेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए गिट्टी आसानी से प्राप्त होगी, धन्यवाद।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक के द्वारा अपना विचार रख दिया गया है परियोजना के संबंध में। अब आप जो है एक–एक करके आकर अपना विचार, सुझाव या दावा–आपत्ति जो भी है, उसको रख सकते हैं।

1. श्री अविनाश मिश्रा प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। पत्रकार भाइयों पुलिस प्रशासन एवं हमारे क्षेत्र की जनता और जो भी नागरिक उपस्थित है सभी को नमस्कार। महोदय यह आषु केशव मिनरल प्लांट जिसका यहॉ पर जनसुनवाई चल रहा है मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे 25–30 किलोमीटर के एरिया में हमारे कोई भी क्रेशर प्लांट नहीं है, महोदय मैं पेशे से ठेकेदार हूँ कान्ट्रेक्टर हूँ बी वर्ग का मैं जानता हूँ कि अगर आपको क्रेशर गिट्टी न मिले और आपको लीज न मिले रॉयल्टी न मिले तो आपका अंतिम बिन्दु रुक जाता हैं, मेरे लाखों रूपये पहले रूके हुए हैं विभागों में क्योंकि मैं रॉयल्टी नहीं पटा

पाया क्योंकि यहॉ खदान था ही नहीं और जिससे हमको रॉयल्टी मिले आज के डेट में हमको सुगमता से रॉयल्टी मिल जा रहा है इसके लिए मैं क्रेशर संचालक का धन्यवाद देना चाहूँगा महोदय प्रतिवर्ष जैसे कि मैंने पता किया है 30 से 35 लाख रुपए की रॉयल्टी यहॉ से कट कर जमा होती है और वह रॉयल्टी राशि प्रतिवर्ष ग्राम पंचायतों को गौण खनिज डीएमएफ मद के माध्यम से वापस मिलता है जिससे गांव में नाली निर्माण सीसी रोड निर्माण एवं अन्य निर्माण किए जाते हैं। इस वर्ष से इस खदान की स्वीकृति के बाद से लगभग 01 करोड़ की रॉयल्टी पटाई जाएगी संचालक के द्वारा जिसका लगभग 80 लाख रुपए ग्राम पंचायत को वापस मिलेगा गौण खनिज रॉयल्टी डीएमएफ मद या अन्य मद के माध्यम से, जिसका उपयोग गांव के लोग अपने हित में कर सकेंगे मैं पूर्व में दो बार सरपंच रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि किसी भी पंचायत को सरकार द्वारा इतना पैसा नहीं मिलता जितना खुद पंचायत को मिलेगा, जिसका उपयोग वे करेंगे। महोदय खदान के अगल–बगल में इन्होंने भयंकर वृक्षारोपण किया हुआ है जिससे प्रदूषण की संभावना कम है और यह खुशी की बात है कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, ट्रैक्टर चालकों को रोजगार मिल रहा है, श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है और हमको उच्च क्वालिटी गुणवत्ता की क्रेशर गिट्टी मिल रही है। महोदय यह हमारे क्षेत्र की भी गौरव की बात है कि एकमात्र यह रॉयल्टी वाला एक नंबर का खदान है। महोदय आप लोग जब गुजरेंगे पल ऊपर महानदी तो आप देखेंगे चांटीपाली और दर्रा नामक गांव है जिसको अवैध खदान गांव वासियों ने अवैध रूप से खोदकर पूरा बर्बाद कर डाला है। इस क्रेशर प्लांट के खुलने से अवैध गतिविधियॉ कम हुई है और बंद हुई है। लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, यहॉ हमारे राजमिस्त्री संघ के सभी लोग उपस्थित भी हैं अच्छा क्वालिटी का गिट्टी मिलने के कारण निर्माण भी अच्छा हो रहा है। मैं इस मामले में यह बोलना चाहूँगा महोदय कि एक बेजा कब्जा करके आदमी एक पान ठेला भी खोला रहता है उसका आप पान ठेला हटाएंगे तो कितना तकलीफ होता होगा। यहॉ करोड़ों रुपए लाखों रुपए अर्जित करके रमेश साहू द्वारा क्रेशर खदान खोला गया है जो हमारे क्षेत्र के गौरव की बात है धन्यवाद मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं दो बार का सरपंच और एक बार का जनपद सदस्य हूँ।

2. श्री गिरजा साय, कसडोल ने कहा कि सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम है मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि शासन द्वारा वैध रूप से जो क्रेशर प्लांट चल रहा है उससे हमें बहुत सस्ते में अच्छा मटेरियल मिल रहा है जिससे हमारा घर द्वार बहुत अच्छा ढंग से बन रहा है और बहुत सही रेट में हमें सामान मिल रहा है मैं क्रेशर प्लांट का समर्थन करता हूँ यही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।

3. श्री रवि शंकर भारतेश, कसडोल, अध्यक्ष, राज मिस्त्री संघ ने कहा कि आज के जनसुनवाई के कार्यक्रम में शासन से आए हुए अधिकारी गण सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और जनप्रतिनिधि से आए हुए भाई बहनों को हार्दिक स्वागत है। हम राजमिस्त्री संघ के छोटे–मोटे ठेका के रूप में काम करते हैं नाली पुलिया और रोड का छोटा–मोटा गिट्टी

का काम करते हैं जिसमें गिट्टी की जरूरत होती है और हम यहॉ खदान है, यहॉ से पर्याप्त मात्रा में सही रेट में गिट्टी रेती पत्थर मिलता है जिससे हम काम करते हैं और इसके उपरांत आगे जैसे कि खदान नहीं है तो 40 से 50 किलोमीटर दूर में बलौदाबाजार खपरी में है, तो उतनी दूर से गिट्टी ला नहीं सकते हैं क्योंकि वहॉ रेट ज्यादा है इसके नाम से मैं इस खदान का समर्थन करता हूॅ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि अपनी बात आप एक–एक करके बोल सकते हैं। आप अपनी बात लिखित में या मौखिक यहॉ पर आकर दर्ज कर सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है अपनी बात बोलने के लिए इसीलिये जनसुनवाई आयोजित की गई है। पीछे में यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो एक–एक करके आकर बोल सकते हैं, हल्ला नहीं करेंगे।

4. श्री खिलेश राम निषाद, ग्राम कोट ने कहा कि आज के कार्यक्रम जनसुनवाई में पधारे हुए सम्माननीय अधिकारी गण कर्मचारी गण सबका स्वागत है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूॅ कि हमारे कसडोल ब्लाक के अंतर्गत मात्र शासन के नियम के अनुसार एक ही खदान संचालित है जिससे हमारे क्षेत्र के विकास का जो सामग्री है मकान से संबंधित है रोड से संबंधित है गांव से संबंधित है यह गिट्टी पत्थर हमें आसानी से मिल जाता है इसके साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय व्यक्तियों को रोजगार का भी अवसर मिलता है कोई गाड़ी चला करके कोई ट्रैक्टर चला करके कोई मेहनत करके अपनी जीविका के साधन को तय करते हैं, इसके लिए मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं वे लिखित में या मौखिक में यहॉ पर आकर एक–एक करके कह सकते हैं। हल्ला करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सुनने के लिए ही आए हैं यहॉ पर।

5. श्री विमल अजय ने कहा कि आज के इस जनसुनवाई के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अधिकारी गण, कर्मचारी गण, हमारे इस क्षेत्र के जनता जनार्दन और हमारे जनप्रतिनिधि आप सबका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूॅ सबसे पहले तो मैं थोड़ा विरोधाभास का प्रयोग करूॅगा जो जाली और इतना ज्यादा तामझाम आप यहॉ पर रखे हो उसका इतना जरूरत नहीं था कि यहॉ जाली और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। मुझे आज पता चला कि जनसुनवाई का कार्यक्रम ग्राम पंचायत कोट में रखा गया है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक बात आई कि आज से 8–10 साल पहले एक अफवाह फैला था कि अडानी के सीमेंट फैक्ट्री का संचालन होने वाला है इस क्षेत्र में तो एक गांव के आसपास गांव के तमाम लोग खुशी मना रहे थे कि कोई बड़ा उद्योग बड़ा सीमेंट प्लांट बड़ा फैक्ट्री हमारे बीच मे खुलेगा तो हमें रोजगार मिलेगा हमको शिक्षा मिलेगा हमको पर्यावरण बचाने के लिए अच्छा एक वातावरण मिलेगा करके बहुत

खुश थे इस गांव के लोग लेकिन आज हमारे बीच के हमारे ही व्यक्ति आज एक अच्छा प्लांट का संचालन कर रहे हैं जिसके संचालन से आज हमको बहुत ही आसानी से गिट्टी प्राप्त होता है हमें कहीं दूर जाकर भटकना नहीं पड़ता है और हमारे इस गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है अच्छा पर्यावरण का यहॉ बचाव हो रहा है तो मैं इस जनसुनवाई का मैं समर्थन करता हूॅ। साथ ही साथ मैं हमारे इस क्रेशर के संचालक आदरणीय रमेश साहू जी से मैं निवेदन करना चाहूॅगा कि यह क्रेशर आपका है और आसपास के पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी जो आपके प्लांट में काम कर रहे हैं जो आपके प्लांट में रोजगार में है उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूॅ कि आप सभी को देखकर और हमारे ग्रामवासी से आपको बढ़िया तालमेल बनाकर इस प्लांट को अच्छे तरीके से संचालित करना है। मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

6. श्री संतोष साहू, ग्राम कोट ने कहा कि हमें चाहिए ही नहीं हमें बंद कराना है, पानी की परेशानी है फसल की परेशानी है हर चीज में दिक्कत है।

7. श्री युगल साहू, ग्राम कोट ने कहा कि खदान से हमको कोई ताल्लुक नहीं है, खदान बंद होना चाहिए बंद होना चाहिए।

8. श्री राजेश कन्नौजे, पूर्व पार्षद नगर पंचायत कसडोल ने कहा कि मेरा आज यहॉ पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से जो यहॉ पर जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित की गई है, उसमें उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, यहॉ उपस्थित पत्रकार गण, कोट की स्थानीय महिलाएं, हमारे माता बहनों एवं भाईयों पुलिस प्रशासन के भाईयों आपका यह जो पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से जनसुनवाई जो कार्यक्रम है सबसे पहली बात मैं अपना विचार रखना चाहता हूॅ अगर कहीं भी कोई जगह ऐसा जरूरी नहीं है कि आज कोट ग्राम में खदान खुला है, कहीं न कहीं शासन को लाभ अर्जित करने के लिए कोई भी जगह लीज में दी जाती है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूॅ कम से कम शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी लोग अपना अपना पक्ष रख सकते हैं सबसे मुद्दे की बात है कि कोई भी जगह में कहीं न कहीं उद्योग स्थापित होना है और हर जगह ऐसा उद्योग स्थापित का विरोध होता रहा तो हमारा छत्तीसगढ़ जो अथाह खनिज संपदा से भरपूर है अगर इस प्रकार का विरोध होता रहा तो हमको राजस्व से लेकर हर प्रकार का आय इसमे प्राप्त होता है, शासन को जिससे हमारे नगर का विकास हो गया, ग्राम का विकास हो गया, इससे बहुत सारा फायदा होता है तो मैं आज यह जो खदान चल रहा है जो एक नंबर लीगल है और उससे राजस्व भी आता है और दूसरी चीज है यहॉ जैसे रोजगार सबसे बड़ी चीज क्या है यहॉ रोजगार उपलब्ध होता है आज जैसे यहॉ ग्राम कोट की बात मैं करता हूॅ आज यहॉ कम से कम शुरुआत में कम से कम किसानों के पास ही ट्रेक्टर रहा करता था जिसमें कृषि कार्य करते थे, आज केवल कृषि कार्य करने से ही ट्रेक्टर का उसमें अपना भरपाई नहीं हो पाता वह खदान में भी काम करके

अपना रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और उनका जीवन यापन यहॉ भी चल रहा है, जिसमें यहॉ कई जैसे विरोध करने आए हैं, उनका भी रोजगार चल रहा है हालांकि कई लोग स्पष्ट बोल नहीं पाते हम किसी व्यक्तिगत किसी गांव का अहित नहीं चाहते, तो कम से कम यहॉ जिस प्रकार से लीगल जो खदान है, भई अनलीगल तो आसपास एरिया में लाखों हैं हजारों हैं जिसमें कई प्रकार के पेपर में छपते रहता है यहॉ घटना हो गया वहॉ घटना हो गया। यहॉ भी घटना होता है लेकिन घटना के बाद तत्काल उनके द्वारा मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाता है, बस मैं इनका समर्थन करता हूॅ और यहॉ होना चाहिए भई हमारे नजदीक में है तो हर प्रकार का लाभ हमको हो रहा है हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सबसे बड़ी चीज यहॉ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है इस खदान खोलने से मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूॅ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कसडोल द्वारा संबोधित किया गया कि आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोगों को जो भी बात कहनी है, समर्थन में है, असमर्थन में है, विरोध दर्ज करना है, कृपया बाहर चिल्लाना नहीं। आप जो है कृपया माईक में आकर बोलते जाएं, सभी को अवसर दिया जा रहा है।

9. श्रीमती कैलाशा बाई केंवट ने कहा हम लोग पानी के लिए जाते हैं बहुत दुख पाते हैं हमारे गांव का खार बंजर हो गया है हम लोगों को खदान नहीं चाहिए, यहॉ खदान बंद मतलब बंद करो, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है हम बहुत तकलीफ पा रहे हैं।

10. श्रीमती नागेश्वरी कैवर्त्य ने कहा कि यहॉ उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी गण को मेरा प्रणाम हमारे गांव में पर्यावरण सुरक्षा एकदम खतरे में है खदान के कारण जमीन एकदम बंजर हो गया है और धान उपज नहीं हो रहा है पानी का स्तर भी नीचे हो गया है इसी कारण हम आपसे खदान बंद करने का निवेदन करते हैं खदान को पूरा बंद किया जाए और बल्कि कोई सामान नहीं चाहिए हमको।

11. श्री लाखन ध्रुव ने कहा कि दूसरे गांव के लोग बोल रहे हैं गिट्टी मिल रहा है, दूसरे गांव के क्या जानेंगे, रोड की स्थिति को, पानी का स्तर नीचे हो रहा है, ये लोग कहते हैं बढ़िया है बढ़िया है दूसरे गांव के जानेंगे कोट की स्थिति क्या है इसे, खदान बंद होना चाहिए।

12. श्रीमती मीना वर्मा ने कहा कि हम लोगों को खदान बंद करना है, कोई ट्रैक्टर में कोई कमाई करे चाहे कुछ भी करें मैडम हमें पानी के लिए बहुत तकलीफ मिल रहा है हमारे धान, अनाज का उत्पत्ति कम हो गया है पूरा पहले जैसा नहीं है और ट्रैक्टर वाला चाहे कुछ भी करें हमें गिट्टी पत्थर कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को खदान बंद चाहिए।

13. श्री दनेश कुमार तलवरकर, ग्राम कोट ने कहा कि सर हमारे गांव में खदान खुला हुआ है हमें क्या फायदा हो रहा है ? हमें क्या फायदा हो रहा है ? आप बता दो गांव वालों को

क्या फायदा हो रहा है। आप बताओ 10 साल हो गया है मेरा धान हो नहीं रहा है अब मैं क्या करूं ? कहॉ जाना पड़ेगा मुझे या तो इस गांव से निकलना पड़ेगा आप ही लोग बताइए धान नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे पानी नहीं आएगा तो कहां जाएंगे क्या वे जगह देंगे हमें, हमारा खेत है 04 एकड़ गांव में हमें 4–6 एकड़ गांव में दे दो और हमारा सुविधा जो है इधर यहॉ भी दे दो या तो खदान सीधा–सीधा बंद कर दो। बंद करना है तो कर दो नहीं करना है तो पूरे गांव वालों को डबल जमीन दो डबल खेत दो।

14. श्रीमती दुर्गेश्वरी साहू, ग्राम कोट ने कहा कि हमें खदान बंद करना है, हमें कच्चे मकान में रहना पसंद है मगर ईंट गिट्टी कुछ भी नहीं चाहिए खदान बंद होना चाहिए बंद होना चाहिए। पानी की बहुत ही कमी हो गई है, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है हम लोगों को, पूरा तालाब नाली सब खाली हो जा रहा है, हमें खदान बंद करना है यानी बंद करना है।

15. श्री हेमलाल साहू ने कहा कि 15 साल से सिविल का कांट्रेक्टर हूँ, मेरा क्या है रॉयल्टी आसानी से मुझे मिल जाता है और पहले में ठेकेदारी करता था तो रॉयल्टी नहीं मिलता था यहॉ खदान से मिल रहा है, इसका खदान जारी रहना चाहिए और यहॉ रॉयल्टी वाला कोई खदान नहीं है मैं रमेश साहू के चूना पत्थर खदान का मैं समर्थन करता हूँ।

16. श्री चंद्र कुमार पैकरा ग्राम सुकदा ने कहा कि आदरणीय यहॉ पर पधारे कलेक्टर महोदया, साथ ही यहॉ पर पधारे हमारे पर्यावरण अधिकारी एवं यहॉ पर पधारे अन्य अधिकारी गण साथी हमारे जन संचार के साधन मीडिया कर्मी जी, आज जो जनसुनवाई का कार्यक्रम है श्री रमेश साहू के खदान से संबंधित है इसके बारे में मैं यह कहना चाहूॅगा कि हर एक संस्थान हर एक उद्योग जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है वह बहुत बढ़िया बात है, मैं सब वह उद्योग वह संस्थान चाहे वह कपड़ा उद्योग हो, चाहे सीमेंट उद्योग हो, चाहे लोहा उद्योग हो, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, बेरोजगार आदमी न तो अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता, न तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, यहॉ तक कि अपना कपड़ा भी नहीं ले सकता है, तो जिस साधन से रोजगार उपलब्ध हो रहा है वह सभी उद्योग का मैं समर्थन करता हूँ, साथ ही एक बात और बोलना चाहूॅगा मटैरियल का सरलता से सहजता से उपलब्धता, चूंकि यह खदान हमारे गांव के नजदीक में पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है दूरी कम पड़ता है तो रेट भी कम पड़ता है साथ ही हमारे मकान तक मटेरियल बहुत जल्दी पहुंच जाता है इससे हमारे समय का बचत होता है और आप सभी जानते हो टाईम इज मनी समय ही धन है जो समय का सदुपयोग करता है वही इंसान आगे बढ़ता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी का एक कथन है, तो ज्यादा देर न लगाते हुए यह जो रमेश साहू का खदान है मैं इसका समर्थन करता हूँ, साथ ही साथ यह जो

जनसुनवाई है जिसके माध्यम से लोगों का अभिव्यक्ति यहॉ पर निकल रहा है, इसका मैं अपार से अपार समर्थन करता हूॅ।

17. श्रीमती जुगनी बाई कैवर्त्य, ग्राम कोट ने कहा कि मेरा 02 एकड़ खेत है मैडम एक भी बीज धान नहीं होता है, खदान बंद।

18. श्रीमती ताराबाई साहू ने कहा कि मैं खदान के पास में मेरा खेत है 10 साल हो गए धान नहीं पा रही हूॅ, मेरे बच्चे भुगत रहे हैं मैं बहुत दुख पा रही हूॅ। मैं यही विनती करती हूॅ, क्रशर मशीन बंद हो।

19. श्री संतोष बंजारे, ग्राम कोट ने कहा कि यहॉ पर पत्थर खदान खुलने से हमारा गांव पूरी तरीके से खोखला हो गया है, न तो जल मिलता है न जमीन मिलता है न पर्यावरण में कोई सुरक्षा नहीं है इतना मतलब गांव हमारा 50 साल पीछे चला गया है माननीय महोदय यहॉ का खदान बंद होना चाहिए आप जाकर देखिए कि खदान ने क्या कर दिया है जो सरकारी नियम है उसके पालन में कितना खुदाई हुआ है इसमें कितना नुकसान होता है स्वास्थ्य खराब होता है और मान्यवर मेरा भी आज जो समस्या है आज 2025 का जो समस्या है पानी का वह हमारे यहॉ का जलस्तर इतना नीचे गया था कि बहुत ही ज्यादा उसमें हमको 3 महीना पानी के तकलीफ के लिए मतलब पानी ही नहीं मिला है कोई बोर चल ही नहीं रहा है तो बहुत परेशान हैं और दूसरी बात बारूद लगाते हैं तो बारूद लगाते हैं तो गांव में जितना उसका कंपन है न तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया है गांव में उस जगह में कौन सुरक्षित रह सकता है और स्वास्थ्य में भी पर्यावरण में जाकर देखो कितना गंदा है अभी इंक्वारी किया है तो पर्यावरण 2–4 वृक्ष लगाया है यह पूरा मनमानी किया है और हमारा गांव चाहता है कि पूरा बंद तो बंद खदान।

20. श्रीमती मंटोरी बाई साहू, वह खदान खुला है वहॉ मेरा एक एकड़ खेत है और जब से चालू करें हैं तब से एक बीजा धान नहीं हो रहा है यह खदान बंद मतलब बंद। मेरे बाल बच्चे मजदूरी के लिए घूम रहे हैं।

21. श्री अशोक कुमार यादव, कसडोल ने कहा कि सर मेरा मानना है कि यहॉ क्रेशर चलना चाहिए क्योंकि आज गवर्नमेंट द्वारा जो सरकारी काम हो रहा है जितने भी टेंडर वाले काम हो रहे हैं वह क्रेशर गिट्टी से ही उसका उपयोग करना है यह मतलब गवर्नमेंट का आदेश है और सरकारी भवनों पर जो ईंट उपयोग करते हैं वह फ्लाई ऐश ही उपयोग करना है ऐसा याने गवर्नमेंट का आदेश है आज यहॉ है तो हम लोगों को आसानी से रॉयल्टी मिल जा रही है आसानी से सुगमता से यहॉ पर परिवहन करके हम ले जा रहे हैं एक नंबर पर इसके पहले भी कोट में ऐसा नहीं था कि बहुत सारे खदान चले हैं यहॉ पर लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया इसका आज जाकर देखिए 50 खदान ऐसे हैं जो यहॉ पर अवैध और आज भी निकाल रहे हैं वहॉ से पत्थर, लेकिन कोई आदमी अगर एक नंबर पर काम करके अगर उसके पास पैसा है तो उसका विरोध करने के लिए हजार लोग आ

जाते हैं जाकर देखिए पहले भी जब क्रेशर प्लांट खुला था तो मैं पत्थर यहीं से ले गया हूॅ मेरे घर में पत्थर लगा है यहीं का कोट का तो यह सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैं तो चाहूॅगा कि यह जो क्रेशर चल रहा है उसके समर्थन में हूॅ हम लोगों को एक नंबर में यहॉ से आसानी से उपलब्धता हो जा रही है रोजगार के अवसर मिल रहे हैं हमारा ट्रैक्टर चल रहा है वहॉ पर बहुत सारे तो इस तरह से इसका मैं समर्थन करता हूॅ।

22. श्री कमल नारायण साहू ने कहा कि जिस हाल में धान का फसल है, वह धान में पानी नहीं है मेरा चार एकड़ जमीन है एक बूंद पानी नहीं है, निंदाई कोड़ाई सब हो गया है खदान बंद तो बंद।

23. श्री वीरेन्द्र राम ने कहा कि खदान से बहुत नुकसान हो गया है सर जितने गरीब आदमी हैं सभी की फसल नहीं हो रही है पूरा बर्बाद हो गया है कम से कम चारों तरफ फसल नहीं हो रहा है कोट वाले परेशान हैं।

24. श्री सम्मे लाल वर्मा ग्राम कोट ने कहा कि खदान खुला है तो हमारे गांव को पूरा घाटा है ये रोजगार देंगे कहते हैं किसे रोजगार दिए हैं मात्र एक आदमी जाते हैं और किसी को नहीं दिए हैं और मनमाना रेट लेते हैं गिट्टी का, बेटाईम चले जाते हैं तो उसे गाली देकर भगा देते हैं। यह पूरा गलत है कोट के लोग भुगत रहे हैं बाहरी आदमियों को क्या है सुख है वे लोग नहीं जानते हैं। मैं कहता हूॅ खदान बंद होना चाहिए।

25. श्री नागेश्वर प्रसाद साहू ग्राम कोट ने कहा कि मैं यह बोलना चाहता हूॅ कि यहॉ पर अगर जनसुनवाई हो रहा है यहॉ का तो गांव कोट के ही आदमी का जनसुनवाई करें बाहरी व्यक्ति का सुनवाई न करें बाहरी व्यक्ति आकर अगर कुछ भी बोल रहे हैं इसका समर्थन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है यहॉ पर जनसैलाब है यहॉ पर विरोध कर रहे हैं तो इसी कारण हो रहा है कि बाहरी व्यक्ति का सुनवाई न किया जाए और यहॉ पर खदान को बंद किया जाए।

26. श्रीमती रुक्मणी बाई साहू ने कहा कि यहॉ का खदान बंद होना चाहिए इतना दिन तक गिट्टी नहीं था तो घर नहीं बन रहा था। अभी रमेश का गिट्टी बन रहा है तभी घर बन रहा है सबका, बाहरी आदमी कैसे यहॉ आकर दबाव चला रहे हैं, बोल रहे हैं खदान बंद होना चाहिए तो बंद होना चाहिए। हम लोगों की बात सुनिए हम लोगों के बाल बच्चे कितने परेशान हैं। बाहर वाले की बात न सुने यहॉ पर आकर माइक में।

27. श्री शिव शंकर साहू ने कहा कि यहॉ गिट्टी क्रेशर बंद होना चाहिए, नया मकान बना रहे हैं, वह भी क्रैक लग रहा है, कितने परेशान हो रहे हैं, यहॉ गिट्टी नहीं चाहिए दूसरे गांव से हम लोग गिट्टी ले जाएंगे, यहॉ क्रेशर बंद होना चाहिए, यहॉ के लोग बहुत बर्बाद हैं।

28. श्रीमती नीराबाई साहू ग्राम कोट ने कहा कि खदान हमें चाहिए ही नहीं हमारे छोटे–छोटे बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो क्या करेंगे खदान का, हमें खदान पूरा बंद करना है मतलब बंद करना है।

29. श्री रेवाराम केंवट ने कहा कि खदान खुला है उसमें हमें बहुत आपत्ति है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि दूसरे गांव के लोग कि हमें खदान खुलने से बहुत फायदा है अगर फायदा है तो अपने ही खेत में खुदवाई करा लें खदान को, हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे गांव में खदान नहीं चाहिए।

30. श्रीमती सुशीला साहू ग्राम कोट ने कहा कि हमें खदान नहीं चाहिए, खदान खोलने से पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हमारे जमीनों में धान नहीं हो रहा है, क्रेशर मशीन से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है धूल धक्कड़ आता है बहुत पेड़ पौधा कुछ नहीं है जाली नहीं लगाते हैं वहॉ पूरा धूल उड़कर खेत में जाता है लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है और हमें यह खदान नहीं चाहिए क्रेशर बंद होना चाहिए।

31. श्री अर्जुन सिंह क्षत्रीय ग्राम कसडोल ने कहा कि मैं इस लोक सुनवाई का समर्थन करता हॅू।

32. श्रीमती पार्वती साहू ने कहा कि 15 साल से हमारा खेत बंजर पड़ा है धान नहीं होता है खदान के पास में है। खदान वाले काम नहीं देते हैं हमको।

33. श्री विक्रम मधुकर ग्राम तरवा ने कहा कि खदान खुलने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है साथ ही साथ उचित रेट पर गिट्टी सब कुछ आसानी से मिल जाता है मैं लोक जनसुनवाई का समर्थन करता हॅू पूरी तरह से। रमेश कुमार साहू जी के नाम से मैं सहमत हॅू।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आप लोग यहॉ पर मौखिक में आकर अपनी आपत्ति, सुझाव, टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लिखित में भी आप दे सकते हैं।

34. श्री नरेंद्र कुमार साहू ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हॅू।

35. श्री कमलेश कुमार साहू ग्राम कोट ने कहा कि मेरी कृषि भूमि है यहॉ मैं कहना चाह रहा हॅू कि जिस तरह से आज के परिवेश में आज के विकास के लिए कृषि जितना जरूरी है उतना ही उद्योग धंधा भी जरूरी है अगर हम सिर्फ कृषि में रहेंगे तो देश का और क्षेत्र का ग्राम का विकास होना संभव नहीं है आज हमें सिर्फ अन्न नहीं चाहिए अन्न के साथ–साथ हमको रहने के लिए मकान चाहिए और हर वह सुख सुविधा चाहिए आज इसके लिए उद्योग धंधा भी बहुत आवश्यक है जिस तरह से आज मेरा वहॉ पर कृषि भूमि भी है और मैं खुद इसका गवाह हॅू कि मेरे जो खरीफ फसल होता है उसमें इसी खदान

से सिंचाई भी होता है और इससे मुझको शत प्रतिशत फसल भी मिलता है। दूसरा बहुत से लोगों को रोजगार मिला है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहे वह क्रेशर के रूप में हो चाहे डायरेक्ट वहॉ जो रोजी–रोटी करते हैं, कई परिवार के बढ़ रहे हैं तो जिस तरह से किसी से रोजगार मिलता है उसी तरह से उद्योग से भी रोजगार मिलता है एक और बात बोलना चाहूॅगा इससे शासन को भी रायल्टी के रूप में लाखों रुपए का फायदा होता है हो सकता है बहुत सारे उसमें से फंड ग्राम पंचायत को भी मिले उससे ग्राम पंचायत का भी विकास होता है तो इस तरह से सिर्फ उद्योग को केवल बंद कर दो बोलने से यह कोई समाधान नहीं है हां इसमें कोई पर्यावरण मान लो कोई समस्या है तो उन बाधाओं को दूर भी किया जा सकता है और यह आपके सुझाव हम आप हमको देंगे हम उनको देंगे, हम सब मानेंगे और इस तरह से कृषि के साथ–साथ उद्योग भी आवश्यक है मैं इस खदान का अपने तरफ से समर्थन करता हूॅ।

36. श्रीमती बैसाखीन ने कहा कि मुझे 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इतना दुख नहीं पाई हूॅ, अब दुख पा रही हूॅ, खदान निकला है तो, मेरे 9 छोटे–छोटे बच्चे हैं, मैं कहां पोसने जाऊंगी बुजुर्ग हो गई हूॅ, खदान बंद होना चाहिए।

37. श्री राजेन्द्र टंडन, कसडोल ने कहा कि देखिए मेरा नाम सुनते ही लोग उत्साहित हो रहे हैं देखिए गांव का विकास गांव जुड़ता है कस्बे से कस्बा जुड़ता है शहर से और इसको जोड़ने का माध्यम होता है सड़क। तो सड़कों का निर्माण बिना पत्थर गिट्टी मुरूम के संभव नहीं है इसलिए ऐसे खदानों का बिना मतलब के जाने अनजाने इसका विरोध करना और यह भी कहना कि इससे वातावरण दूषित होता है तो यह रासायनिक खाद का फैक्ट्री तो नहीं है जिससे जल दूषित हो पर्यावरण दूषित हो या कोई जनहानि हो ऐसी कोई बात नहीं है विकास यहॉ पर तभी संभव है जब फैक्ट्रियॉ लगें उद्योग धंधे लगें सुचारू रूप से लोगों को काम मिले और जहॉ तक इस फैक्ट्री खदान का ताल्लुक मतलब काम यह है कि यहॉ 100 दिन का रोजगार नहीं बल्कि 365 दिन लोगों को काम मिलता है यह सबसे बड़ी बात है इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है उचित दाम पर और समय की बचत के साथ–साथ सही मूल्य पर लोगों को यहॉ पर गिट्टी मिल रहा है गिट्टी मतलब आप जानते हैं क्रशर का गिट्टी ही जायज माना जाता है और यहॉ हमारे समीप में खदान है उससे अगर हमको सुलभता से मिल रहा है इससे ज्यादा और बड़ी बात नहीं हो सकती लोग विरोध कर रहे हैं समर्थन करें न करें यह अलग बात है पर यह असमर्थता जाहिर करना कहीं न कहीं द्वेशपूर्ण लगता है राजनीतिक मामला लगता है आज हम इस कोट का समर्थन करते हैं जहॉ तक मैं जानता हूॅ इस खदान से जो भंडारण पानी का होता है उस पानी की सिंचाई भी खरीफ फसल में कराया जाता है ऐसा मुझे सुनने में आया है और मैंने यहॉ तक भी सुना है कि क्रेशर प्लांट वालों ने नालियां भी बना रखी है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा हल्ला न करें आपको भी बात करने का मौका मिलेगा हमें देर से बात करने का मौका मिल रहा है मैं इस खदान के पूर्ण समर्थन में हूॅ खदान रूकना नहीं चाहिए, बंद होना नहीं चाहिए।

38. श्री दिलीप कुमार साहू ने कहा कि मैं स्वयं एक किसान हूॅ यहॉ पर खुले हुए क्रेशर स्टोन से डस्ट कृषि उपजाउ जमीन में जाता है तो वहॉ का जमीन पूरा बंजर पड़ जाता है उसमें 25 प्रतिशत भी फसल नहीं होता है इसलिये यहॉ के क्रेशर को बंद किया जाये।

39. श्रीमती सरिता साहू ने कहा कि मेरे खेत में धान होता है 25 साल हो गए जब से मशीन बैठा है तब से मेरे खेत में धान होता ही नहीं है। नाम के लिए कोट में बोर करवाते है और मेरे खेत में एक बूंद पानी नहीं है और मेरे बच्चे दर–दर भटक रहे हैं मेरे खेत में फसल नहीं हो रहा है आज के लिए बंद नहीं सभी दिन के लिए बंद। कसडोल वाले समर्थन कर रहे हैं तो अपने गांव में खोले खदान हमारे गांव में कोई जरूरत नहीं है खोलने का।

40. श्रीमती सुमन साय ने कहा कि खदान को बंद करें मेरे गांव में पानी निकलता था अब एक भी पानी नहीं है और दूसरे गांव के बोल रहे हैं बढ़िया। यहॉ से ले जाए और खुदवाए।

41. श्री कीर्तन पटेल ग्राम कोट ने कहा कि मैं किसान हूॅ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया है और हम किसान हैं तो अन्न पैदा कर रहे हैं हमारे पीछे बहुत लोग जी खा रहे हैं हमारा जय जवान जय किसान का नारा है और हम लोगों के जीने का सहारा है और आगे भी खदान को जब चालू रख रहे हैं तो पटवारी को ले जाते थे और सीमांकन कराते थे किसमें धान होता है किसमें धान नहीं होता है उसे देख लिया जाए देख करके हमें मुआवजा दें।

42. श्रीमती चैती बाई ने कहा कि कैसे किया जाए धान पैदा नहीं हो रहा है एक भी तो हमें क्या देंगे हमारा कोई पोषण करने वाला नहीं है मैं विनती करती हूॅ खदान को हटाना चाहिए।

43. श्री सुखराम यादव ग्राम कोट ने कहा कि खदान को बंद करने के लिए तो हम लोग पूरे बस्ती और मैं भी कहता हूॅ कि खदान बंद होना चाहिए और मेरा पूरा बस्ती भी कह रहा है कि खदान बंद होना चाहिए बिल्कुल इससे हम त्रस्त हैं खदान से बहुत दुख है एक तो पूरा आधा खार में फसल नहीं होता है और जितने भी बोल रहे हैं कि खदान से कोई परेशानी नहीं है इनका कोई यह नहीं है, ये लोग जालसाजी बोल रहे हैं खदान से हम गांव वालों को बहुत परेशानी है मैं महोदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूॅ कि खदान को बंद करा दें छोटे–छोटे बाल बच्चे हैं छोटे–छोटे किसान हैं किसी का एक एकड़ किसी का दो एकड़ तो किसी का आधा एकड़ जमीन है उसी में ही अपना भरण पोषण कर रहे हैं इसके नाम से आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रशासन से प्रार्थना है कि यह खदान को बंद करा दें।

44. श्रीमती गीता बाई ने कहा कि आप लोगों से विनय करती हूँ कि हमें खदान बंद होना चाहिए।

45. श्री नारद प्रसाद पटेल ग्राम कोट ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि खदान बिल्कुल बंद होना चाहिए क्योंकि उसके नजदीक में लगा हुआ है मेरा खेत और अभी मेरी बात में विश्वास नहीं होगा तो आप लोग देख सकते हैं।

46. श्रीमती पूना बाई ने कहा कि मेरा डेढ़ एकड़ खेत है एक भी बीज धान नहीं होता है पूरा आसपास खुदाई हो गया है ईंट बना रहे हैं उसके पास है इसके कारण एक भी धान नहीं हो रहा है और कौन पोषण करेगा मेरे बाल बच्चों को और खदान पूरा बंद होना चाहिए।

47. श्री संतराम साहू, ग्राम कोट ने कहा कि यहॉ पर खदान जो कह रहे हैं कसडोल वाले जो आए हैं वे लोग बोल रहे हैं कि यहॉ पर अनुमति होनी चाहिए करके खदान बंद होना चाहिए मतलब बंद होना चाहिए।

48. श्री जितेन्द्र मानिकपुरी, ग्राम कोट ने कहा कि ये कसडोल वाले बोल रहे हैं, तो कसडोल में खदान खुलवा दिया जाए।

49. श्री मनोज कुमार कर्ष ग्राम पंचायत कोट ने कहा कि यहॉ का खदान बंद होना चाहिए मतलब बंद होना चाहिए। यह बाहर के आदमी आए हैं कसडोल वाले जिनको कोई लेना–देना नहीं है।

50. श्रीमती सुमित्रा बाई साहू ने कहा खदान पूरा बंद होना चाहिए हमारा गांव पूरा स्वीकार है एक आवेदन लाए हैं एक दीदी है बिजली ऑफिस में गए हैं तब भी नहीं निकाल रहे हैं मेरी जमीन में है उस खंभा को निकाल देना चाहिए। बिजली ऑफिस में दिए हैं तो बिजली ऑफिस वाले नहीं किए हैं खदान गांव भर के लोग पूरा सलाह किए हैं कि खदान बंद होना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि अपनी आपत्ति मौखिक में या लिखित में भी दर्ज कर सकते हैं अपने सुझाव विचार लिखित में मौखिक रख सकते हैं।

51. श्री शिव कुमार जायसवाल कसडोल ने कहा कि खदान यहॉ चालू रहना चाहिए क्योंकि 40 से 45 किलोमीटर दूर से गिट्टी मंगवाते हैं वह हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसलिए मैं कहता हूँ यह खदान चालू रहना चाहिए।

52. श्री राम कुमार साहू ग्राम अध्यक्ष ने कहा कि मैं गांव के एक बुजुर्ग के रूप में बनाया गया हूँ। सभी की सहमति से खदान बंद होना है बंद हो जाए और कसडोल से आए हुए 20

—25 आदमी आए हैं वह कहते हैं खदान चालू हो जाये अपने कसडोल में लेकर जाएं हम यहॉ खुलने नहीं देंगे।

53. श्रीमती लक्ष्मी बंजारे ग्राम कोट ने कहा कि गर्मी के दिन में पानी की इतनी समस्या होती है, कि बूंद—बूंद के लिए बाल्टी लेकर खोजने जाते हैं और गहराई में खदान की खुदाई कर रहे हैं तो घर हिल रहा हैं घर टूट जाएगा तो उसका नुकसान देंगे क्या ? रमेश को यहॉ से गेट आउट करें और खदान बंद करें।

54. श्री शिव कुमार ने कहा कि पूरा कोट बस्ती कह रहा है कि खदान बंद मतलब बंद और पूरी पब्लिक चाह रही है।

55. श्रीमती राम कुमारी वर्मा ग्राम कोट ने कहा कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े जवान भी कह रहे हैं मैं हाथ पांव जोड़कर विनय करती हॅू कि खदान बंद तो बंद का और कसडोल वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई चालू हो तो वहॉ कसडोल में खदान को खोल दें पर अभी तक तालाब में पानी नहीं बच रहा है इस खदान की वजह से कसडोल वाले आकर हमें पानी दिलाएं और गांव की पूर्ति को करें।

56. श्रीमती सीताबाई यादव ने कहा कि मैं खदान को बंद करवाना चाहती हॅू मेरा खेत लगा है उसके मेड़ को भी खदान बना दिए हैं और उसमें जब से मशीन बैठा है तब से धान होता ही नहीं है। उसे बंद करवाना चाहते हैं।

57. श्री गेंदराम साहू ने कहा कि खदान बंद करें।

58. श्रीमती भरतमती ने कहा कि यह फैक्ट्री बंद तो बंद।

59. श्री रामेश्वर प्रसाद साहू ने कहा कि मैं यह चाहता हॅू कि यह खदान हमेशा चलता रहे यहॉ पर वृक्षारोपण भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है और मैं इस खदान का समर्थन करता हॅू।

60. श्रीमती चमेली ने कहा कि खदान बंद चाहिए मेरा खेत खदान के पास में है। यहॉ तक बारूद जलाते हैं तो हिल जाता है बंद भई बंद हमें कोई खदान नहीं चाहिए हम कुछ नहीं लेंगे दूसरे गांव से भले ही ले आयेंगे।

61. श्री ब्रिज ने कहा कि खदान बंद होना चाहिए।

62. श्रीमती पंचकुमारी वर्मा ने कहा कि यहॉ खदान नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि जो भी सुझाव, मत, विचार लिखित में व मौखिक दोनों में रख सकते हैं।

63. श्री अमर सिंह साहू ग्राम कोट ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि खदान बंद हो इससे हमारे पास खेत में धान नहीं होता है फैक्ट्री लगी है वहॉ पर।

64. श्रीमती विद्या केंवट ने कहा कि खदान बंद मतलब बंद कसडोल वाले का कहना है तो अपने प्लांट को वहॉ लेकर जाएं।

65. श्री हरीश कुमार ग्राम कोट ने कहा कि यहॉ खदान बंद होना चाहिए और प्लस जो बाकी बाहर से लोग हैं कसडोल के उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो प्लीज उनको बोलने के लिए मना किया जाए यहॉ खदान बंद होना चाहिए सर प्लीज मानिये। बात पूरे गांव की बात है यह।

66. श्रीमती गोवर्धन बाई केंवट ने कहा कि खदान को बंद करना चाहिए और बारूद फूट रहा है तो पूरा घर हिल जाता है। खदान बंद होना है मतलब पूरा बंद होना है।

67. श्री विष्णु केंवट ने कहा कि खदान के पास मेरा एक एकड़ जमीन है वहॉ धान उत्पादन नहीं हो रहा है जब से क्रेशर बैठा है। इसलिए खदान बंद होना चाहिए।

68. श्रीमती दुर्गा कर्ष ने कहा कि जब से खदान खुला है तब से हमारे गांव में धान नहीं हो रहा है घर हिलता है हमको खदान बंद चाहिए दूसरे गांव के लोग बोल रहे हैं कि उनको फायदा है तो वहीं ले जाए।

69. श्री मोहन केंवट, ग्राम कोट ने कहा कि खदान बंद होना चाहिए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि जिनको लिखित में अपना सुझाव, विचार आपत्ति दर्ज करना है वे यहॉ पर आकर जमा कर सकते हैं।

70. श्री महेश सिंह ने कहा कि इस खदान का समर्थन करता हूँ।

71. श्री खेमराज धृतलहरे ने कहा कि इस खदान को चालू रखने का समर्थन करता हूँ।

72. श्री संजय पटेल इस खदान के मैं समर्थन में हूँ, खदान खुलना चाहिए।

73. श्रीमती अमृता केंवट ने कहा कि यहॉ के खदान को बंद करवा दीजिए मैडम।

74. श्री लोकनाथ वर्मा ने कहा कि खदान चालू करने का समर्थन करता हूँ।

75. श्रीमती कौशल्या केंवट ने कहा कि हमारे गांव में जो खदान खोला गया है उसको बंद कर दिया जाए और दूसरे गांव के लोगों को बोलने नहीं देना चाहिए हमारे गांव के लोग हैं हम लोगों को बोलने का अधिकार है दूसरे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है दूसरे

गांव को बोलने क्यों दे रहे हो आप लोग दूसरे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है हमारे गांव का खदान बंद होना चाहिए।

76. श्री उमेश कुमार वर्मा ने कहा कि खदान खुलने का समर्थन करता हूँ।

77. श्रीमती पंचबाई ने कहा कि सभी घर को बंजर कर दिया है रमेश ने आकर बंजर कर दिया है, खेत में बहुत नुकसान है हमारा, खदान बंद करना है।

78. श्री हीराराम गिलहरे, ग्राम कोट ने कहा कि खदान बंद होना चाहिए।

79. श्रीमती रामेश्वरी मेहर ने कहा कि कुछ सहारा नहीं है, कुछ भी नही है मेरे पति को लकवा की बीमारी हो गई है मुझे महतारी का पैसा भी नहीं मिल रहा है, खदान बंद होना चाहिए।

80. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मजदूर संघ, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष इंटक छत्तीसगढ़, प्रदेश संरक्षक छत्तीसगढ़ पत्रकार संरक्षण संगठन छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण द्वारा आयोजित मेसर्स कोट लाइमस्टोन क्वारी के पर्यावरण लोक जनसुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय जी, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी सम्माननीय रबड़े साहब जी, एडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे जिला प्रशासन के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, हमारे पुलिस प्रशासन के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, हमारे श्रम विभाग, खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी गण हमारे कोट सहित आसपास के गांव के समस्त सरपंच गण, पंचगण हमारी माताएं बहनें हमारी मातृ शक्ति, हमारे युवा शक्ति गण, मैं आज छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण द्वारा आयोजित कोट लाइमस्टोन क्वारी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि कोट लाइमस्टोन क्वारी जो है पूर्व से संचालित है और आज के जो पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई जो है केवल क्षमता विस्तार और शासन के नियमानुसार आयोजित और प्रायोजित है उक्त कोट लाइमस्टोन क्वारी खुलने से हमारे कोट गांव सहित आसपास गांव के हमारे युवा बेरोजगार साथियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार काम और रोजगार की व्यवस्था हो पाएगी जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रॉयल्टी मद सीएसआर से मिलने वाली राशि से हमारे ग्राम पंचायत कोट सहित आसपास गांव का सर्वांगीण विकास होगा साथ ही शासन को मिलने वाला राजस्व डीएमएफ राशि से हमारे प्रदेश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगा। साथ ही मेरी जनहित में मजदूरों के लिए मेरी कुछ मांग भी है कि मेसर्स श्री रमेश कुमार साहू कोट लाइमस्टोन क्वारी में ग्राम कोट में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को काम में रखना चाहिए जिसमें ड्राइवर हेल्पर मशीन ऑपरेटर मुंशी को रखा जाए। उक्त लाइमस्टोन क्वारी में समस्त मजदूर कर्मचारियों को शासन की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत भुगतान होना चाहिए। साथ ही घनी आबादी रहवासी

क्षेत्र में सुबह शाम पानी का छिड़काव होना चाहिए। साथ ही वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 का कड़ाई से पालन करते हुए खदान संचालित होना चाहिए। अवैध लाइमस्टोन खनन में प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही गिट्टी, बोल्डर, डस्ट का परिवहन करते समय तारपोलिन से ढंककर ले जाना चाहिए ताकि आम जनता को किसी भी तरह से परेशानी न हो। साथ ही ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही गांव के विकास हेतु कार्ययोजना बनाकर गांव के जो मूलभूत विकास हैं नाली, पुलिया, सड़क, स्कूल, पचरी सहित गांव के सर्वांगीण विकास के लिए उक्त लाइमस्टोन क्वारी का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। साथ ही पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम, कारखाना एक्ट, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करते हुए उक्त कंपनी जो है उक्त खदान जो है संचालित होना चाहिए। मैं पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आप अपनी आपत्ति, सुझाव, विचार लिखित में या मौखिक में दर्ज कर सकते हैं।

81. श्रीमती द्रौपती पटेल ग्राम कोट ने कहा कि खदान बंद मतलब बंद।

82. श्री प्रेम प्रसाद ने कहा कि खदान बंद होना है।

83. श्री प्रवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि रमेश खदान के पास मेरे पिताजी खेत बेचे थे अभी तक रजिस्ट्री करवाने के लिए मुझे बार–बार बोले हैं लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ उसको खेत को बनवा दो कहकर पैसा वापस करना चाहता हूँ बोल रहा हूँ तो नहीं सर पैसा ले लो बोल रहे हैं मैं लेना नहीं चाहता मुझे खेत वापस चाहिए पैसा भी वापस करना चाहता हूँ मैं मेरे पिताजी बेचे थे।

84. श्रीमती तुलसी बाई साहू ने कहा कि खदान बंद होना चाहिए।

85. श्री राजेश कुमार, ग्राम कोट ने कहा कि रमेश भैया का जो आसु क्रेशर है वहीं पर मेरा 5–6 एकड़ जमीन है मैडम मुझे 15–17 साल हो गए, इसके क्रेशर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है मैडम मैं क्या करूं आत्महत्या करूं क्या।

86. श्री पिताम्बर साहू, ग्राम कोट ने कहा कि खदान तो बंद होना चाहिए।

87. श्रीमती सावित्री बंजारे ने कहा कि मैं इस गांव में जितने आदमी हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि इतने दिनों से रोड नहीं बना था क्या, इतने दिनों से तालाब में पचरी नहीं बना था क्या इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ था क्या आज पानी के लिए 2 किलोमीटर जाते हैं हमारे घर में नल में पानी नहीं आ रहा है हम कैसे करेंगे हमारे छोटे–छोटे बाल बच्चे हैं इसके लिए खदान बंद होना चाहिए और तालाब में पचरी बन रहा था इतने दिनों से

आज ही बना है क्या रमेश ने खदान खोला तब यहॉ पर क्या रोड नहीं था यह खदान बंद होना चाहिए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को मैं कह रही हूॅ कि वे अपना जवाब जो है प्रस्तुत करेंगे इसके बाद।

88. श्री बसंत कुमार, ग्राम कोट ने कहा कि खदान बंद होना चाहिए मतलब खदान बंद होना चाहिए। इस खदान से आसपास के 150–200 एकड़ जमीन पूरा प्रभावित है मैडम इस खदान के 150–200 एकड़ जमीन पर पूरा बंजर है सभी जमीन और खदान के पूरे डस्ट से आसपास का क्षेत्र पूरा वायु पूरा प्रदूषित हो रहा है इससे तो खदान बंद चाहिए मतलब बंद चाहिए मैडम।

89. श्रीमती शांति वर्मा ने कहा कि हमारे गांव में पानी की कोई दिक्कत नहीं है पीने के लिए दुख पा रहे हैं और मेरा घर 4 साल हो गए बने हुए और पूरा फट गया है वह घर देखना चाहिए जाकर।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

90. श्री मिथलेश साहू ने कहा कि खदान बंद मतलब बंद इधर खेत का पानी रुक नहीं रहा है उधर बंद मतलब बंद।

91. श्री संतोष केंवट ने कहा कि मैडम हमारे कोट का खदान बंद होना चाहिए, अपने खदान कसडोल ले जाये।

92. श्री हरिशंकर साहू ने कहा कि अगर कोट के लोगों को जीना है जीने देना है तो खदान को बंद करना है।

93. श्रीमती फूलबाहरीन ने कहा कि पूरा खदान बंद हो जाए, पूरा बंद हो जाए खदान।

94. श्री मनोज कुमार यादव, ग्राम कोट ने कहा कि खदान से हमें कोई फायदा नहीं है खदान बंद होना चाहिए।

95. श्री सेवक साहू ने कहा कि मैं रमेश कुमार साहू को समर्थन देना चाहता हूॅ।

96. श्रीमती सावित्री साहू ने कहा कि खदान बंद होना चाहिए मतलब बंद होना चाहिए।

97. श्री राजीव कुमार देवदास, ग्राम टाल्डादार ने कहा कि मुझे इस खदान से कोई आपत्ति नहीं है मुझे यहॉ से सस्ते दर में गिट्टी मिल जाता है घर बनाने के लिए सुविधा मिलती

है और मुझे यहॉ से रोजी रोटी भी मिलता है क्योंकि सप्लाई करता हूॅ तो मुझे अलग से मजदूरी मिल जाता है मैं क्रेशर प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

98. श्री करण सागर ने कहा कि मैं श्री रमेश साहू जी के फर्म आसु लाइमस्टोन क्रेशर का शासन के नियमानुसार सुचारू रूप से संचालित रखने हेतु पूर्ण समर्थन करता हूॅ।

99. श्रीमती जामबाई केंवट ने कहा कि खदान बंद होना तो होना।

100. श्री भोलाराम साहू ने कहा कि भैया खदान बंद होना चाहिए मतलब बंद होना चाहिए, बहुत ही खेत में नुकसान होता है।

101. श्री मोहन पटेल, ग्राम कोट ने कहा कि खदान बंद होना चाहिए मतलब बंद होना चाहिए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आशुतोष सन्यासी, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स अंबिका इन्वायरो देवपुरी रायपुर, (छ.ग.) द्वारा जवाब प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि आज की जनसुनवाई में लगभग 98 लोगों ने अपना मत प्रस्तुत किया है, जिसमें से कुछ लोग सहमत हैं एवं कुछ लोग विरोध में हैं, जिसमें से किसी ने समर्थन के साथ–साथ यह भी कहा है पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ खदान चलानी चाहिए तो परियोजना प्रस्ताव से मेरा भी यही अनुरोध है कि पर्यावरण नियम के अनुसार ही चला रहे हैं इन्होंने काफी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जिससे इस क्षेत्र के नहीं बल्कि बलौदाबाजार में मैं काफी खदानों में घूमता हूॅ इतने पेड़ पौधे आज तक किसी खदान क्षेत्र में नहीं देखा हूॅ, यह सच्चाई है। किसी किसी का यह है कि पानी की समस्या है पानी की समस्या खदान से मुख्यतः नहीं होती है इसलिए नहीं होती है कि खदान पानी का जो वाटर लेवल है उसके नीचे तक की गहराई की अनुमति शासन नहीं देती है पानी के वाटर लेवल को पहले चेक किया जाता है और उस लेवल तक के ऊपर ही खनन किया जाता है और दूसरी बात इनके जो खदान से पानी निकलती है इस पानी को वहॉ की खेती के लिए दिया जाता है न कि फेंका जाता है पूरे पानी को आसपास के लोगों को दिया जाता है अपनी आवश्यकता अनुसार लेकर अपनी खेती कर सकते हैं। खदान से वैसे बंजर कई लोगों ने बंजर होने की आपत्ति की है खदान से जमीन बंजर नहीं होती है तभी तो बारिश के समय में खदान में पूरा पानी भर जाता है और उस पानी को उस पानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है जिससे पानी का जलस्तर अच्छी होता है। किसी ने यह कहा खदान से उन्हें फायदा नहीं होता है खदान से तो उन्हें फायदे होंगे जो खदान में काम करने जाते हैं देखिए खदान में सीमित मजदूर सीमित लोगों को रोजगार दिया जाता है किसी ने आपत्ति किया कि 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाएगा सरकार का प्रावधान है कि 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए

और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है खदानों में बाहर से उन्हीं लोगों को लाया जाता है जो खदान में वह कार्य नहीं कर सकते जो यहॉ के ग्रामीण करना चाहते हैं जैसे ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर आसपास के गांव में नहीं है तो उनको मजबूरन बाहर से लाना पड़ेगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक और कुछ कहना चाहते हैं रॉयल्टी के बारे में बता दीजिए।

श्री आशुतोष सन्यासी, पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि गांव का विकास ही नहीं है पूरा देश का विकास होता है यह जो खनन होती है इसकी रायल्टी गवर्नमेंट को जमा होती है उसमें एक फंड होता है डीएमएफ। डीएमएफ फंड का जो पैसा होता है उस पैसे से गांव का विकास किया जाता है अगर आप ही लोग सोचो किसी गांव में खदान नहीं है तो विकास आपके यहॉ नहीं होगी आपका जीवन यापन वैसे होगा जैसे 50 साल पहले था लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी उम्मीद है कि आप पढ़ोगे आपका रास्ता होगा रोजगार होगा आपको नया रोजगार मिलेगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक का जवाब जो है आप सभी ने सुना, इनका जवाब जो है और आपकी जो बातें हैं वह इस वीडियो कैमरा में दर्ज की गई है और यह जो रिकॉर्डिंग है और आपका जो सुझाव, आपत्ति या जो भी आपका टीका टिप्पणी है वह सारी चीज इसमें दर्ज की गई है और वह पर्यावरण मंडल के माध्यम से भारत सरकार को जो है पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी इसके बाद ही जो है खदान का जो है संचालन होगा इसके साथ ही यह जनसुनवाई जो है समाप्त की जाती है, धन्यवाद। लोक सुनवाई का कार्यक्रम अपरान्ह 12:30 बजे समाप्त हुआ। लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 25 है। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

प्रकाश कुमार रबड़े
क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
रायपुर

सुश्री दीप्ति गौते,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा